सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आश्विन, 1947 (श०)

संख्या - 463 राँची, शुक्रवार, 10 अक्टूबर, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

22 अगस्त, 2025

संख्या-5/आरोप(कोर्ट केस)-15-10/2024का.--32782 (HRMS)--श्री आलोक कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-832/03) के अंचल अधिकारी, सोनाहातु, राँची के कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, राँची के पत्रांक-05(i)/स्था०, दिनांक 05.02.2019 द्वारा आरोप पत्र (प्रपत्र-'क') गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया हैः-

आरोप संख्या-1:-श्री आलोक कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सोनाहातु अंचल में पदस्थापित रहने के दौरान श्रीमती दुरो देवी, पति-श्री रमेश चन्द्र महतो के पक्ष में विहित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करने, आवेदिका तथा उनके पति के नाम से पूर्व से ही जमीन के जमाबंदी होने के बावजूद तथ्य छिपाकर भूमिहीन रैयत बताने एवं आवेदिका के पति की आय के अन्य स्त्रोत को छिपाकर भूमि की बंदोवस्ती की अनुशंसा करने का दोषी पाया गया है ।

श्री आलोक कुमार, अंचल अधिकारी, सोनाहातु अंचल का उक्त कृत एक सरकारी सेवक के लिए निर्धारित आचरण के विपरीत आचरण को स्पष्ट करता है। इसकी अपेक्षा एक सरकारी सेवक से नहीं की जा सकती है। प्रस्तुत मामले में श्री आलोक कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सोनाहातु अंचल का उक्त कृत्य प्रथम द्रष्टव्या दोषी है ।

आरोप संख्या-2:- श्री आलोक कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सोनाहातु अंचल का उक्त आचरण प्रथम दृष्टया पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3 (1) (i) (ii) एवं (iii) के प्रतिकूल आचरण है ।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0-1616(HRMS), दिनांक 04.04.2019 द्वारा श्री आलोक कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया ।

3. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-271, दिनांक 05.11.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया ।

4. श्री आलोक कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या- 19743(HRMS), दिनांक- 23.03.2023 के द्वारा श्री आलोक कुमार, झा0प्र0से0(कोटि क्रमांक-832/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, सोनाहातु, राँची के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत लघु दण्ड अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उसकी पेंशन पर नहीं पड़ेगा, का दण्ड अधिरोपित किया गया ।

5. विभागीय संकल्प संख्या- 19743(HRMS), दिनांक- 23.03.2023 के द्वारा अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री आलोक कुमार द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में W.P(S) No.- 2350/2024 आलोक कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया ।

6. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा W.P(S) No.- 2350/2024 आलोक कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक- 18.02.2025 को पारित न्यायादेश के द्वारा विभागीय संकल्प संख्या- 19743(HRMS), दिनांक- 23.03.2023 के द्वारा अधिरोपित दण्ड को निरस्त किया गया है। साथ ही जाँच प्रतिवेदन से असहमति के बिन्दुओं को अंकित करते हुए नये सिरे से कारण पृच्छा करने हेतु विषयांकित मामले को विभाग को वापस किया गया है। पारित न्यायदेश, दिनांक-18.02.2025 का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः-

"--------14. Considering what has been held above, I am inclined to allow this writ petition. The impugned order of punishment as contained in Order No. 05/Aarop-1-130/2018-19743(HRMS)/Ranchi, dated 23.03.2023 (Annexure-6 to the writ petition), is set aside.

15. The matter is remanded to the Disciplinary Authority to issue a fresh show cause notice, if he intends to do so, giving the reasons as to why he wants to differ with the enquiry report and proceed from that stage.

16. Accordingly, this writ petition stands allowed."

7. माननीय न्यायालय के द्वारा W.P(S) No.- 2350/2024 आलोक कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक- 18.02.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके बचाव बयान एवं संचालित विभागीय कार्यवाही के उपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि-

(क) जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में श्री कुमार के द्वारा श्रीमती दुरो देवी, पति श्री रमेश चन्द्र महतो के पक्ष में भूमि की बंदोबस्ती हेतु गलत अनुशंसा किये जाने के संबंध में आंशिक सही प्रतिवेदित किया गया है ।

(ख) श्री कुमार के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में उनके द्वारा भूमि बंदोबस्ती की अनुशंसा की गयी है, जो मान्य प्रतीत नहीं होता है ।

चूँकि अंचल अधिकारी ही अंचल के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। अंचल कार्यालय में ही भूमि से संबंधित सभी अभिलेख संधारित होता है, अतएव अंचल अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मियों के द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर अपने कर्तव्यीय दायित्व से विमुक्त नहीं हो सकते हैं ।

(ग) राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के परिपत्र संख्या-1525, दिनांक- 11.05.2022 के द्वारा भी संसूचित है कि गलत आदेश की जिम्मेवारी से मात्र इस आधार पर नहीं बचा जा सकेगा कि वह अधीनस्थ कर्मियों के प्रतिवेदन तथा अनुशंसा पर आधारित था। इस आशय का Obsevation माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी वाद संख्या-W.P.(C) No.- 4220/2007 मो० जैतुन बीबी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में किया गया है ।

(घ) संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में भी श्री आलोक कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप को आंशिक रूप से सही प्रतीत होते हैं, प्रतिवेदित पाया गया है। इस प्रकार श्री कुमार के द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया गया। अतएव संचालन पदाधिकारी के द्वारा श्री कुमार को सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3(1)(i) (ii) एवं (iii) के प्रतिकूल आचारण का दोषी नहीं मानने संबंधी प्रतिवेदन स्वीकार योग्य नहीं है ।

8. समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या- 19743(HRMS), दिनांक- 23.03.2023 को विलोपित करने तथा उपर्युक्त कंडिका-7 में अंकित कारणों के आधार पर संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए श्री आलोक कुमार के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत लघु दण्ड अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उसकी पेंशन पर नहीं पड़ेगा, का दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया है ।

9. उपर्युक्त निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या- 30276(HRMS), दिनांक- 02.05.2025 के द्वारा श्री आलोक कुमार, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-832/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, सोनाहातु, राँची के विरूद्ध अधिरोपित दण्ड से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या- 19743(HRMS), दिनांक- 23.03.2023 को विलोपित किया गया ।

साथ ही विभागीय पत्रांक- 2495, दिनांक- 05.05.2025 के द्वारा विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमति के कारणों को अंकित करते हुए श्री आलोक कुमार के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत लघु दण्ड अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उसकी पेंशन पर नहीं पड़ेगा, का दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी ।

10. विभागीय पत्रांक- 2495, दिनांक- 05.05.2025 के क्रम में श्री कुमार के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव में निम्न मुख्य तथ्यों को अंकित किया गयाः-

(क) आरोपी के विरूद्ध लगाये गये आरोप 'सही' या 'गलत' पाये जाने के बिन्दु पर पूरी विभागीय कार्रवाई चलता है। जबकि, यह पूरी तरह से संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-271, दिनांक 05.11.2019 में स्पष्ट है कि मुझे अंततः दोषमुक्त (Exonerate) कर दिया गया है। राजस्व वाद का अपीलीय न्यायालय में सुनवाई का Mechanism है ।

(ख) यह भी आपस में विरोधाभाष है कि विभाग के एक ही संकल्प ज्ञापांक-5/आरोप-30276 (HRMS) से मेरे विरुद्ध अधिरोपित दण्ड को विलोपित कर दिया गया तथा इसी संकल्प से पुनः उस विलोपित दण्ड (असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकना) को बहाल कर दिया गया एवं इस प्रकरण में दूसरी बार (Second time) द्वितीय कारण-पृच्छा करने का निर्णय ले लिया गया, जो कि विधि सम्मत नहीं है तथा प्रावधानों के विपरीत है ।

(ग) विभागीय कार्यवाही मात्र दो(02) आरोपों को लेकर चलाई गयी, जिससे मुझे दोषमुक्त(Exonerate) घोषित किया गया। वर्तमान संकल्प की कंडिका-7 का 'क' से 'घ' तक के कथन तो मेरे विरूद्ध लगाये गये आरोपों का अंष/भाग/हिस्सा (Part) तो है ही नहीं। यह तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये न्यायादेश की अवमानना तथा अवहेलना मात्र है ।

(घ) बन्दोबस्ती प्रक्रिया में अभिलेख हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा अग्रसारित करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है ।

विषयगत मामले में भी आवेदिका दुरो देवी, साकिन-डोमाडीह, सोनाहातू के परिवार में कुल धारित भूमि का रकबा दो (02) एकड़ से कम है। अतः आवेदिका राजस्व विभाग के पत्र सं०-8/खा०म०नीति-701, दिनांक 26.02.1982 के आलोक में "भूमिहीन" की श्रेणी में आती है ।

(ङ) आवेदिका "देही रैयत'' (उसी गाँव की रहने वाली है।) ना कि "पाही रैयत (दूसरे गाँव की)। राजस्व ग्राम डोमाडीह के सभी निवासी "कुर्मी जाति" से आते हैं, जो कि BC-1 श्रेणी के हैं। पूरा क्षेत्र ग्रामीण है. जिसमें पिछले 60 वर्षों से भी ज्यादा विषयगत भूमि पर आवेदिका के परिवार वालों का शांतिपूर्ण दखल कब्जा, मिट्टी का घर-सहन, पशु-शाला इत्यादि बना हुआ है । गरीबी/अशिक्षा/अत्यधिक ग्रामीण परिवेश एवं जानकारी के अभाव में उनका परिवार सरकारी प्रावधानों के अनुरूप भू-बंदोबस्ती नहीं करा पा रहा थे। अतः झारखण्ड स्थापना दिवस के दौरान Drive चलाकर प्रावधानों के अनुरूप निर्देशानुसार आवेदिका को अधिकार मिला। इसमें कोई गलती नहीं है ।

(च) आवेदिका के 60 वर्षों से भी ज्यादा शांतिपूर्ण दखल-कब्जे होने तथा घर, सहन, पशु-शाला, खेती बगानी वाली भूमि को किसी अन्य के साथ भू-बन्दोबस्ती करने पर खून-खराबे मार-पीट, विधि व्यवस्था की समस्या तथा अन्याय की सम्भावना थी। अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक ने भी सही प्रतिवेदित किया था ।

(छ) विषयगत चीजें भी Chhotanagpur Tenancy Act, 1908 (CNT Act) की धारा-63A में भी वर्णित है & Settlement of Waste lands to be made by Patta-Settlement of waste lands belonging to the State Government shall be made by a "Patta" or "Amalnama" in the prescribed form", भू-बन्दोबस्ती की प्रावधान पहले से ही अधिनियम में मौजूद है। इसी आधार पर विभागीय जाँच पदाधिकारी ने मुझे "दोषमुक्त" किया है, जो कि सही निर्णय है ।

(ज) राजस्व विभाग के पत्र संख्या-3089 रा०, दिनांक 13.11.1986 के संदर्भ में यह विभाग का Standing Order है कि ST/SC/पिछड़ी जाति के सदस्यों का दखल-कब्जा तथा उनके जोत-कोड़ की सरकारी जमीन/G.M. भूमि को उनके साथ बन्दोबस्त करना है, यदि कमजोर वर्ग के लोगों द्वारा पहाड़ी एवं पथरीली जमीन को काफी परिश्रम कर कृषि योग्य बनाया है और वे उस पर लम्बे अरसे से दखलकार भी रहते रहे हैं ।

(झ) राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-4563 (रा०) दिनांक 08.11.2018 तथा माननीय लोकायुक्त, झारखण्ड द्वारा परिवाद संख्या-01/लोक (राजस्व) 08/2015 में दिनांक 05.09.2018 को पारित आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि "अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश मुख्यतः राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर होता है। उनमें मूल भूमिका इनकी ही होती है ।''

(ञ) विषयगत मामला बहुत ही साधारण सा है। नामान्तरण वाद/बन्दोबस्ती वाद इत्यादि सभी तरह के राजस्व वाद के लिए अपीलीय न्यायालय (Appellate Court) Mechanism स्थापित है. e.g. अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता (D.C.L.R), अनुमण्डल पदाधिकारी (S.D.O.), अपर समाहर्त्ता (A.C.), उपायुक्त (D.C.), आयुक्त इत्यादि ।

इसके लिये विभाग की दृष्टि में केवल मैं ही दोषी क्यों? इसी परिस्थिति में तो पूरा तंत्र ही बिखर जायेगा एवं सवालों के घेरे में आ जायेगा। ऐसे भी अंचल अधिकारी के कार्य अर्ध न्यायिक (quasi judicial) प्रकृति के होने के कारण सदैव अपीलीय होते है ।

मैंने कोई गलत कार्य, गबन, चोरी, भ्रष्ट आचरण, डकैती, सरकारी प्रावधानों के विरूद्ध तथा नागरिकों के हितों को हानि/क्षति पहुँचाने वाला कार्य नहीं किया है ।

(ट) मेरे विरूद्ध दुबारा दण्ड अधिरोपित करना संविधान की धारा-20 के प्रतिकूल है।

11. श्री कुमार के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव में अंकित है कि उन्हें एक ही मामले में दो बार दण्डित किया जा रहा है, के संबंध में अंकित करना है कि रिट याचिका W.P(S) No.-2350/2024 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में पूर्व में श्री आलोक कुमार के विरूद्ध दण्ड अधिरोपण से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या- 19743(HRMS), दिनांक-23.03.2023 को विलोपित किया जा चुका है। साथ ही पारित न्यायादेश के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जाँच से असहमत होते हुए उनके विरूद्ध दण्ड प्रस्तावित किया गया एवं उक्त प्रस्तावित दण्ड के संबंध में उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गयी ।

श्री कुमार के द्वारा अंकित किया गया है कि उनके द्वारा राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर भूमि की बन्दोबस्ती की अनुशंसा की गयी है। श्री कुमार के द्वारा मात्र अधीनस्थ कर्मियों को दोषी ठहराया जाना उचित नहीं है। उनके द्वारा भूमि बंदोबस्ती से पूर्व स्वयं इसका भौतिक सत्यापन करना चाहिए था। साथ ही श्री कुमार के द्वारा संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के संबंध में विभाग द्वारा अंकित असहमति के कारणों के संबंध में कोई ठोस तथ्य एवं संतोषजनक जबाव अंकित नहीं किया गया है ।

12. विभागीय पत्रांक- 3606 दिनांक- 13.06.2022 के द्वारा संसूचित है कि सरकारी सेवक के विरूद्ध उनकी सेवानिवृति की तिथि को देखते हुए वेतनवृद्धि का दण्ड अधिरोपित किया जाना है। श्री कुमार के विरूद्ध असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जा रहा है। श्री आलोक कुमार, झा०प्र०से० की सेवानिवृत्ति दिनांक- 30.09.2027 रहने के कारण ये दण्ड की अवधि में ही सेवानिवृत्त हो जाएगें। ऐसी स्थिति में प्रस्तावित दण्ड का प्रभाव संचयात्मक हो जाएगा एवं उनके पेंशन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडे. ा

13. अतः समीक्षोपरांत श्री आलोक कुमार के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत किया जाता है तथा श्री आलोक कुमार, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-832/03) के अंचल अधिकारी, सोनाहातु, राँची के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से 01(एक) वेतन वृद्धि पर रोक, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उसकी पेंशन पर नहीं पड़ेगा, का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री आलोक कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ALOK KUMAR JHK/JAS/06	श्री आलोक कुमार, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-832/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, सोनाहातु, राँची के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से 01(एक) वेतन वृद्धि पर रोक, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उसकी पेंशन पर नहीं पड़ेगा, का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 463 - 50